

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 162092

पटना, दिनांक 06-09-2013

ग्रा.वि.-7 सा0वा0-16/13

प्रेषक,

मिथिलेश कुमार,
निदेशक (सा0वा0) ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त,

विषय:-

पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा वितरित किये जाने वाले पौधों को दर का निर्धारण के संबंध में ।


प्रसंग:-

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के जापांक-2277 दिनांक 08.08.2013 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगिक पत्र (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में सूचित करना है कि पत्र में दर्शाए गए दर पर पर्यावरण एवं वन विभाग की पौधशालाओं से वनरोपण हेतु पौधा की उपलब्धि है । पौधारोपण में तदनु रूप कार्रवाई अपेक्षित है ।

विश्वासभाजन


(मिथिलेश कुमार),
निदेशक (सा0वा0)

CA-133708/13 (3)

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

चतुर्थ तल, टेक्नोलॉजी भवन, विश्वेश्वरैया परिसर, बेली रोड, पटना -800 015, दूरभाष : 2545365 / फैक्स : 2545364

पत्रांक-

प्रेषक,

Comm Nregh
SF

बी०एन० झा, भा०व०से०
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
बिहार, पटना।



PD 1888
28/08/13
201200-2
26.08/13



सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक।

सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य वन संरक्षक स्तर के सभी पदाधिकारी।

सभी वन संरक्षक।

सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी।

E-mail

पटना-15, दिनांक-

विषय- पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा वितरित किए जाने वाले पौधों के दर का निर्धारण।

महाशय,

पर्यावरण एवं वन विभाग के विविध पौधशालाओं से वितरित किए जाने वाले पौधों का दर निम्नवत् निर्धारित किया जाता है।

1. गैर सरकारी संस्थाओं तथा मनरेगा आदि कार्यक्रम के अंतर्गत विभागीय पौधशालाओं से पौधों की आपूर्ति के लिए दर निम्नवत् निर्धारित किया जाता है।

क) छोटा ट्यूब पौधा (4"x8" थैला)	:	10/- रुपये प्रति पौधा
ख) स्टम्प	:	10/- रुपये प्रति स्टम्प
ग) पौधे वॉल ऑफ अर्थ के साथ	:	20/- रुपये प्रति पौधा
घ) बड़ा ट्यूब पौधा (4"x8" से बड़ा थैला)	:	20/- रुपये प्रति पौधा
ड.) प्री-एसप्राउटेड स्टम्प	:	20/- रुपये प्रति पौधा

2. सरकारी संस्थाओं को 1000 तक पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे तथा किसी सरकारी संस्था द्वारा 1000 से अधिक पौधों की आपूर्ति का अनुरोध किया जाता है, तो उसे सशुल्क/निःशुल्क आपूर्ति करने के संबंध में निर्णय संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/निदेशक, पारिस्थितिकी एवं

202
30/8/13

पर्यावरण, बिहार, पटना द्वारा लिया जायेगा। सशुल्क आपूर्ति की स्थिति में उपर्युक्त कंडिका 1 के अनुसार दर प्रभावी होगा।

3. जो व्यक्ति 100 से कम पौधे विभाग के अधीन नर्सरी से प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए दर निम्नवत् रहेगा :-

(क) छोटा ट्यूब के पौधा के लिए	:-	5/-	रूपये प्रति पौधा
(ख) बड़ा ट्यूब के पौधा के लिए	:-	10/-	रूपये प्रति पौधा
(ग) स्टम्प	:-	10/-	रूपये प्रति।

4. किसी व्यक्ति को 100 अथवा उससे अधिक पौधों की आपूर्ति विभागीय पौधशालाओं से नहीं की जाएगी। इससे अधिक मांग अगर कोई करता है तो उसे कृषि वानिकी की योजना में शामिल कर पौधा उपलब्ध कराया जायेगा।

यह दर तत्काल प्रभाव से लागू होगा। पौधों के दर संबंधी पूर्व में निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे। इस पर सरकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-


(बी0एन0 झा)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक...२२५५-

दिनांक...०६-०८-१३

प्रतिलिपि-सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0
मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
एक प्रति गार्ड फाइल में।



(बी0एन0 झा)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
बिहार, पटना।


कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

चतुर्थ तल, टेक्नोलॉजी भवन, विश्वेश्वरैया परिसर, बेली रोड, पटना -800 015, दूरभाष : 2545365 / फॅक्स : 2545364

ज्ञापांक...२२७७

दिनांक...०८-०८-१३

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



प्रधान मुख्य वन संरक्षक
बिहार, पटना।